

एडवोकेट शीफ फावनासिंह अग्नेय एंड एन्कोर्समेंट ऑफ  
एड, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

व्यक्ति/संघ का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
702, कालीन क्षेत्र 885 चौ. फुट, विद्युत वितरण में सावधानी मंत्रालय पर विद्युत और गैर-विद्युत मंत्रालय, गौरीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.02.2022	रु. 21,67,870.53 (रुपये डेढ़ लाख सड़कट हजार आठ सौ सत्तर और तिरपन पैसे मात्र) 15.02.2022
169 ए याचिका 50 चौ. मीटर, 3, ब्लॉक-सी, सेक्टर 20, एनएच नोएडा उत्तर प्रदेश -201301	10.02.2022	रु. 19,02,552.29 (रुपये उनीस लाख दो हजार पाँच सौ बावन और उनीस पैसे मात्र) 10.02.2022
3, क्षेत्र 50 चौ. मीटर, 1, चौ. रोड बाई हाथ की ओर, 539, नीति खंड I, इंदिरापुरम, नई दिल्ली, गौरीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.02.2022	रु. 18,40,041.3 (रुपये अठारह लाख चालीस हजार इकतालीस और तीस पैसे मात्र) 15.02.2022
का भाग - 57, का भाग और खंड 4 चौ. मीटर, खसरा नं. 279, का कॉलोनी, मीना देहता, आगरा, उत्तर प्रदेश 282007	15.02.2022	रु. 14,56,157.86 (रुपये चौदह लाख छपन हजार एक सौ सत्तावन और छियासी पैसे मात्र) 15.02.2022
ए 3, एच 41.41 चौ. मीटर, 695, ऊपरी बस मंजिल, हाथ की ओर, शांति खंड - III, म, इंदिरापुरम, गौरीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.02.2022	रु. 14,15,442.27 (रुपये तेरह लाख पंद्रह हजार चार सौ बत्तीस और सत्ताईस पैसे मात्र) 15.02.2022
अधिकार के बिना दुसरी मंजिल, ए, फुट, प्लॉट नं. III-एच43, एच, वेंकटेश, वेंकटेश गौरीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.02.2022	रु. 13,26,313.36 (रुपये तेरह लाख छत्तीस हजार तीन सौ तेरह और छत्तीस पैसे मात्र) 15.02.2022

वित्तीय अनुमान को बनाए रखने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिलनेस चर्चा में रखे के आगे संशय हो में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

में लगावदार चुक होने के कारण उधार लेनेवाले(लो) के रूप बताने को कंपनी द्वारा सौमार्थिक मापदंडों के के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अधिनियम की धारा 13(2)

में वाले उधार लेनेवाले(लो) को आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बताने वाले अपने / उनके पूर्ण

की वे उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पाव होगी।

8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्मचारियों सार्वजनिक नौकरी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिविली इंजीनियर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और

प्रति अलग-अलग यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित अस्तित्व का न करने के लिए पाव नहीं हो सकता।"

दने में, आप हम प्रकार (बिजनेस) एड के माध्यम से अपना नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से शिफ्ट लेना को पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थायीत करने से प्रतिबंधित है।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फावनासिंह लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

**कोटक महिन्दा बैंक लिमिटेड**  
 मुंबई शा. जी-10, नं. 1-2, लॉकल ऑफिस सेंटर, जी. वॉकिंग, जगत निहार, नई दिल्ली-110025, सीक्रेटरी-1831100419659PLC038137

**सूचना**  
 बताने के लिए इतरनेशनल लिमिटेड, स्थित मकान नं. एक-201, लेन-अप-ए/8, वेस्टर्न एक्सप्रेस, सीनेक वार्ड, नई दिल्ली के वाले में श्री राज कुमार अग्रवाल और श्री अरुण कुमार अग्रवाल की परामर्श पर एडवोकेट शीफ फावनासिंह अग्नेय एंड एन्कोर्समेंट ऑफ एड, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) के दिल्ली और एनएचआर संस्करण में प्रकाशित हमारे ई-नौलामी बिली नोटिस दिनांक 28.03.2022 का संदर्भ है। इसके "ई-नौलामी की विधि एवं समय" वाले बॉक्स में नौलामी की तिथि गलती से 8 मार्च, 2022 के स्थान पर 25 मार्च, 2022 प्रकाशित हो गई है। "ई-नौलामी की सही तिथि 8 मार्च, 2022 है, कृपया इसे नोट किया जाए और उपरोक्त ई-नौलामी बिली नोटिस के साथ पढ़ा जाए। अन्य विषय एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

दिनांक: 28.03.2022  
 स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी  
 कोटक महिन्दा बैंक लिमिटेड

**सार्वजनिक नोटिस**  
 केंद्र सरकार के सामने  
 कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2002 की धारा 93 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 90 के नामले में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2002, धारा 93 (3) के मामले में

तथा  
 एक्सपीओ इंडिया रोड सर्विसेस एलएलपी का मंजूरीत कार्यालय आर जेड ए -299, फर्स्ट फ्लोर रोड नंबर, 4, महिपालपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली - 990 038 भारत में होने के मामले में

आवेदक  
 आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एक्सपीओ इंडिया रोड सर्विसेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2002 की धारा 93(3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी से अपने मंजूरीत कार्यालय को बदलने की अनुमति मांगी जाती है। "दिल्ली" से "महाराष्ट्र" के राज्य में।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के मंजूरीत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को मंजूरीत डाक द्वारा वितरित कर सकता है या भेज सकता है या भेज सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 29 (इक्कीस) दिनों के भीतर, ऊपर उल्लिखित पते पर अपने मंजूरीत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को एक प्रति के साथ, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को एक हलफनामे द्वारा समर्थित विरोध के आधार।

एक्सपीओ इंडिया रोड सर्विसेस के लिए और उसकी ओर से रचना चुने (नामित भागीदार)  
 निदेशक पहचान संख्या: 029008696

दिनांक : 20.03.2022  
 जगह : नई दिल्ली

पता: आर जेड ए -299, फर्स्ट फ्लोर रोड नंबर, 4, महिपालपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली - 990 038

**परिशिष्ट IV**  
 देखें नियम 8(1)  
 कब्जा सूचना  
 (अवस संपत्ति हेतु)

जब कि,  
 इंडियाबुल्स हाउसिंग फावनासिंह लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अफेहस्ताक्षरी ने सिविलीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फावनासिंह अग्नेय एंड एन्कोर्समेंट ऑफ सिविली इंजीनियर एड, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिविली इंजीनियर (एन्कोर्समेंट) एड, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राय अधिकारों का उपयोग करके कर्मचार साधवा नरेंद्र कुमार और राज रानी नरेंद्र कुमार को 31.05.2021 को सूचना में वर्णन के अनुसार कब्जा नं. HMLDPC00460928 की राशि रु. 14,04,204.15 (रुपये चौदह लाख चार हजार दो सौ चार और पंद्रह पैसे मात्र) और 29.05.2021 के अनुसार उधार पर ब्याज उधार सूचना को जारी की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिभारण सूचना जारी की थी।

धरनाशि चुकता करने में कर्मचारों के असाफल रहने पर एतद्वारा कर्मचार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अफेहस्ताक्षरी ने प्रकृत कानून की धारा 13 को उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिविली इंजीनियर (एन्कोर्समेंट) एड, 2002 के तहत प्राय अधिकारों का उपयोग करके 24.03.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विरोधत: कर्मचारों और सामान्य जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौच नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौच राशि 14,04,204.15 (रुपये चौदह लाख चार हजार दो सौ चार और पंद्रह पैसे मात्र) 29.05.2021 के अनुसार और उधार पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फावनासिंह लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 को उप-धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय को और आमंत्रित किया जाएगा है।

**कब्जा सूचना**  
**स हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड**  
 CIN : UB7100MH2007PLC174759

स्थान: एडलवाइस हाउसिंग, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400088  
 संपादन, दिल्ली प्रेस शान्ती बासो रोड, संडेवालयन दिल्ली 110055

सूचनाकारी ने, विधिवत अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (वर्तमान) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का सूचना में उल्लेखित शक्ति को चुकाने के लिए उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्रती की दिनांक

कब्जाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को अपनी भी / कार्यकारी के रूप में जिम्मेदारी को है (इसके बाद "इंफोआरसी" के रूप में संदर्भित)। असाइन्मेंट समझौते के अनुसार, सरफेसी ने समग्रदेशक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अंतर्निहित प्रतिभूति हितों, गारंटी, संकल्पों के समी अतिरिक्त, शीर्षक और हित उधारकर्ता द्वारा प्राप्त विधिवत सहायता के संबंध में इंफोआरसी अपने समी अधिकारों का उपयोग करता है।